अतः पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 18/8/25 को पेश हो।

18/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु. वकील वादी को बार-2 आवाजें दिलाई गई परंतु वकील वादी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए वादी का वाद 0983 फार्म के खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल युक्त होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक